Availability of fertilizers in the country

*3. SHRI RAJKUMAR DHOOT: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government has curbed imports of fertilizers to keep fertilizers subsidy, within reasonable limits as the international prices of fertilizers have gone up by a factor of 2 to 3 times, resulting in a steep increase in the quantum of the fertilizer subsidy;

(b) if so, whether this has resulted in a shortage of fertilizers in the country and led to violent agitation by farmers;

(c) whether fertilizers is being distributed in some places from police stations; and

(d) what steps is Government taking to ease farmers' problems in this regard?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir. The Details regarding import of fertilizers during the years 2006-07 to 2008-09 are at Statement-I (*See* below).

(b) Does not arise. The requirement, availability and sales of major fertilizers in the country for the year 2008-09 (April, 2008 to January, 2009) are at Statement-II (see below).

(c) Urea is the only fertilizer which is under partial movement and distribution control of the Government. Union Government ensures availability of urea at State level. State Governments are responsible and take appropriate measures for its distribution within the State.

(d) The steps taken by the Department of Fertilizers for smooth distribution of fertilizers are as under:

i) Movement of fertilizers is being monitored throughout the country by an on-line web based monitoring system to track production, imports, dispatch, arrival and sales up to the district level. The data is also accessible to public at www.urvarak.co.in

ii) The subsidy on fertilizers is to be paid only when it reaches the district;

iii) Department of Fertilizers operates Buffer Stock of urea in major urea consuming states, up to a limit of 5% of the seasonal requirement through State Institutional Agencies / fertilizer companies;

iv) The gap between requirement and indigenous availability of Urea, DAP and MOP is met through imports;

v) Department of Fertilizers contacts the authorities of the State Agriculture Department everyday to find out any shortage of fertilizers anywhere in the state and based on the feed back received immediate remedial steps are taken;

vi) Periodic Review meetings on availability of fertilizers are held between the Officers of the State Agriculture Department and fertilizer suppliers by Secretary (Fertilizer) to resolve the problems, if any, faced by the State Government / fertilizer suppliers.

vii) The Department of Fertilizers has been facilitating the State Governments in procurement of the decontrolled fertilizers through indigenous manufacturers and importers.

viii) Policy for uniform freight subsidy on all fertilizers under the fertilizer subsidy regime has been implemented from 1st April, 2008.

Statement-I

Details regarding import of fertilizers during the year 2006-2009

(Figures in Lakh Metric Tonnes)

	Year-wise import of Urea, DAP & MOP		
Year	Urea	DAP	MOP
2006-07	47.18	28.41	34.48
2007-08	69.26	29.78	44.31
2008-09*	57.13	64.92	44.00

* estimated

Statement-II

Details of requirement, availability and sales of major fertilizers in the country for the year 2008-09 (April, 2008 to January, 2009)

(figures in Lakh Metric Tonnes)

All India	Product	Requirement	Availability			Sales to State agency/ dealers / stockiest
			Indigenous	Imports	Total	
	Urea	253.99	177.79	54.08	231.87	226.27
	DAP	88.23	32.29	60.05	92.34	91.98
	MOP	33.00		37.16	37.16	35.06
	Complex	84.11	65.70		65.70	64.47

SHRI RAJKUMAR DHOOT: Sir, did this curb on import affect the availability of fertilizer to farmers on the one hand and hoarding and undue profiteering by dealers on the other hand forcing farmers to resort to an agitation in Kharif season? What steps are being taken to increase the production of fertilizer in the country?

श्री राम विलास पासवान: सर, इन्होंने प्रश्न (क) में पूछा था कि आयात में कमी हुई है या नहीं, तो हमने बताया कि फर्टिलाइजर के आयात में कमी नहीं हुई है। इसके विपरीत आप यदि देखेंगे कि पहले हम यूरिया का जो आयात करते थे, जो 2006-2007 में 47 लाख टन था, वह अभी तक 57 लाख टन हुआ है तथा यह और भी होगा, डी.ए.पी. का आयात हमने पिछले वर्ष 29 लाख टन किया था और इस वर्ष 64 लाख टन आयात किया है तथा एम.ओ.पी.

का आयात 44 लाख टन किया था, जो हमने अभी तक 44 लाख टन आयात किया है। यह बात सही है कि जो राज्य सहायता है, उसमें हम जहां पिछले साल 36 हजार करोड़ रुपए की टोटल सब्सिडी दे रहे थे, इस साल किसानों के हित में यू.पी.ए. सरकार अभी तक 1 लाख 2 हजार करोड़ रुपए सब्सिडी दे चुकी है और हमारा अनुमान है कि अभी इसमें करीब 12 हजार करोड़ रुपए और लगेंगे। ये सारे-के-सारे प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं कि जो किसान हैं उन्हें इसकी उपलब्धता में किसी तरह की कमी नहीं आए। माननीय सदस्यों को जानकारी है कि पिछले 5 सालों में उर्वरक का जो मूल्य विदेश में था, जैसा आपने बताया कि वह काफी बढ़ा है, कम्पनी का उसका कॉस्ट ऑफ् प्रोडक्शन बढ़ा है, जिस कारण सब्सिडी बढ़ी है। लेकिन, हम किसानों को जिस रेट पर दे रहे थे, 4830 रुपए में यूरिया दे रहे थे या डी.ए.पी. 9030 रुपए में दे रहे थे, आज हम डी.ए.पी. 56 हजार रुपए प्रति टन के रेट पर खरीदते हैं लेकिन किसानों को 9300 रुपए में देते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम प्रति टन 47 हजार रुपए सरकारी सहायता के रूप में दे रहे हैं। हमने एम.ओ.पी. का दाम नहीं बढ़ाया, हमने कम्पलेक्स का दाम कम किया। ये सारे-के-सारे प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि किसान भारत की रीढ़ है और वह रीढ़ कमजोर नहीं होने पाए।

SHRI RAJKUMAR DHOOT: Sir, my second supplementary is this. Whether there have been cases where fertilizer subsidy was wrongly and fraudulently claimed; if so, the causes therefor and remedial measures taken to prevent such cases.

श्री राम विलास पासवान: सर, आप जानते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट एक बहुत छोटा डिपार्टमेंट है। हमारा काम कस्टोडियन का है। जो राज-सहायता होती है, सब्सिडी होती है, हम वह देते हैं। कितनी यूरिया की जरूरत है, यह फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट और राज्य सरकार मिल कर तय करते हैं। जब हमें मालूम हो जाता है कि इन्होंने वहां पहुंचा दिया है तब हम सब्सिडी देते हैं। पहले हमने निर्णय लिया था कि सब्सिडी हम तब देंगे जब राज्य सरकार का सर्टिफिकेट आएगा, लेकिन कभी-कभी यह शिकायत आने लगी कि राज्य सरकार के सर्टिफिकेट देने में या तो देरी होती है या उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, उसके कारण हम लोगों ने वेबसाइट पर देखना शुरू किया। जब यह वहां पहुंच जाता है, तो हम उनको सब्सिडी दे देते हैं। जो माल पहुंचता है, तो जो सरकारी सेक्टर्स हैं, उनको हम देते हैं, कोऑपरेटिव्स को देते हैं, दूसरे को देते हैं या 20 परसेंट प्राइवेट को, कम्पनी डायरेक्ट डीलर्स को भी देती है, यहां तक हम हैं। जब यह राज्य सरकार के पास कोऑपरेटिव में पहुंच जाता है तो वहां से हकीकत में किसानों के पास यह पहुंचता है या नहीं पहुंचता है यह राज्य सरकारों का मामला है। यह उनके jurisdiction में आता है।

श्री प्रकाश जावडेकर: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इस वास्तविकता को जानते हैं कि खाद का एक अभूतपूर्व संकट देश भर में पैदा हुआ और लोगों को प्रत्यक्ष में नहीं मिला? इम्पोर्ट कितना किया, इसकी फिगर्स इन्होंने बताई हैं और वह देश की जरूरत के मुताबिक हैं, ऐसा भी कहते हैं, लेकिन जगह-जगह खाद न मिलने के कारण दंगे भी तो हुए हैं। यह मुद्दा है सब्सिडी का, और इसलिए मैं सीधे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आज की वर्तमान सब्सिडी की पद्धति को बदल कर, उसकी जगह किसान की सब्सिडी सीधे किसान को मिले, क्या इस नीति को सरकार अपनाना चाहती है? इसके बारे में क्या कोई निर्णय सरकार करेगी? इस बारे में सरकार क्या सोच रही है?

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, जो वर्तमान नीति है, अभी यह न्यू प्राइसिंग स्कीम भी जो चल रही है, इस संबंध में हमने बहुत प्रयास किया कि क्या बेहतर नीति हो सकती है। यह एक पापुलर डिमांड बार-बार चल रही है, हम लोग जो सोशलिस्ट पार्टी से रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि किसान को सीधे-सीधे लाभ मिलना चाहिए,

मगर प्रॉब्लम यह है कि किसान को सीधे लाभ कैसे दिया जाए? जो अभी स्थिति है, कंपनी को हम सब्सिडी देते हैं।

श्री प्रकाश जावडेकर: वही तो मुद्दा है।

श्री राम विलास पासवान: दूसरा, हम यह मान लेते हैं, तरीका यह है कि किसान को हम सीधे दें। प्रश्न उठता है कि किसान को हम कैसे देंगे? यदि हम किसान को कहते हैं कि हम आपको सीधे पैसा देते हैं, तो पहले किसान को खरीदना पड़ेगा, जितना मूल्य है उस पर। यदि मान लो कि यूरिया का एमआरपी प्राइस 4830/- रुपए है, तो किसान को पहले कंपनी से 26,000/- रुपए का खरीदना पड़ेगा तब वह बीडीओ के यहां जाएगा कि साहब, हमने इतनी खाद खरीदी है, इतनी हमको सब्सिडी दीजिए। इससे एक नया ब्यूरोक्रेसी का झंझट शुरू होगा। एक विचार यह आया कि स्मार्ट कार्ड शुरू किया जाए। अब जिस देश के गांव में अभी तक इलेक्शन का आइडेंटिटि कार्ड नहीं बन पाया है, उस देश में हम स्मार्ट कार्ड के माध्यम से कहें कि आपको खाद देंगे, तो वह अव्यावहारिक है। अभी क्या है कि किसी को एक किलो, दो किला भी खाद की जरूरत पड़ती है, तो वह जाकर खाद खरीद लेता है। यदि हम वह पॉलिसी अपनाएंगे, तो सभी की जमीन का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि कौन किसान है, वह किसान है या नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इन सारी की सारी चीजों के ऊपर हमनें गंभीरता से विचार किया है और अभी भी हम ओपेन दिमाग से हैं, क्योंकि इसमें सरकार की काफी सब्सिडी जा रही है, इसमें दो मत नहीं हैं, और वह डायरेक्ट किसान तक पहुंच पाए, जो पहुंच भी नहीं पा रही है। इस बात से हम आपसे सहमत हैं और इससे सहमत हैं कि बहुत सारे बोर्डर के राज्य हैं, वहां चूंकि मानते हैं कि नेपाल में कोई सब्सिडी नहीं है और जो खाद यहां 4,830/- रुपए में बिकती है, वहां जाकर सीधे 26,000/- रुपए में बिकती है, डीएपी सीधे वहां 60,000/- रुपए में बिकती है, तो यह स्मगलिंग भी होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा इसको रोकने के लिए राज्य सरकार को भी सक्षम होना पड़ेगा। राज्य सरकार को हम लिख भी रहे हैं। हम माननीय सदस्य के हर सुझाव को मानने के लिए तैयार हैं, जो किसान के हित में हो, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हम आइडोलोजी के तहत किसान के हित के लिए कुछ करने को चलें और वह किसान के लिए परेशानी का कारण बन जाए।

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, एक स्पष्टीकरण, उसी में है।

श्री सभापति: नहीं, आपका सवाल हो गया, प्लीज़।

SHRI MOINUL HASSAN: Thank you, Sir. Sir, one of the major reasons for acute shortage of fertilisers is the erosion of domestic production capacity. Revival of eight fertiliser PSUs is being talked about for the last three years, but, no concrete steps have been taken as yet. Sir, in this perspective, my question is: Will the hon. Minister please enlighten the House as to exactly when the commitment already given to revive and start production in the sick and closed fertiliser units at Haldia and Durgapur in West Bengal, Barauni and Sindri in Bihar and Ramagundam in Andhra Pradesh, would be fulfilled? May I put this question to the hon. Minister?

श्री राम विलास पासवान: सर, फर्टिलाइजर के जो पीएसयूज़, खासकर एच.एफ.सी. और एफ.सी.आई. थे, तो उनमें से हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बंद होने का खास कारण यह था कि वह नेफ्ता बेस्ड था। नेफ्ता की कीमत और गैस की कीमत में काफी अंतर था जिसके कारण 2002-03 में इन सारे प्लांट्स को बंद कर दिया गया। जब यूपीए की सरकार बनी तो हमने निर्णय लिया कि हम इसको खोलेंगे और हमने यह भी

निर्णय लिया कि 2011-12 तक जितने भी नेफ्ता बेस्ड प्लांट्स या फ्यूएल बेस्ड प्लांट्स हैं, उन सबको गैस में हम कन्वर्ट कर देंगे। हमारी अभी जो गैस की उपलब्धता है वह हमें 29 एमएमएस सीएमडी मिल रहा है। वर्तमान में जो हमारे ऑलरेडी गैस बेस्ड प्लांट्स हैं उनके लिए हमें 41 चाहिए। इस प्रकार 12 एमएमएस सीएमडी की ऑलरेडी कमी है। यदि हम पुराने-नये सारे प्लांट्स को भी गैस बेस्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 95 एमएमएस सीएमडी चाहिए। हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से बातचीत हुई है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन भी हुआ है। यह एमपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था, जिसमें यह तय हो गया कि फर्टिलाइजर को टॉप प्रॉयरिटी दी जाएगी और गैस की जो भी आवश्यकता होगी, वह चरणबद्ध कर दी जाएगी। उस परिस्थिति में सरकार ने निर्णय लिया कि हमारे जितने भी बंद प्लांट्स हैं, उन सारे बंद प्लांट्स को हम खोलेंगे और उसी के तहत हमने गेल के साथ एग्रीमेंट किया है। इस प्रकार दुर्गापुर, हल्दिया, रामागुंडम, तालचर, बरौनी और सिंदरी के जो बंद प्लांट्स हैं, उन सबको खोलने का निर्णय ले लिया गया है और उसमें दो तरह के हैं ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: गोरखपुर का निर्णय नहीं लिया?

श्री राम विलास पासवान: गोरखपुर में जो डंकन का प्लांट है, उसके बारे में कल स्पेशल कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले लिया गया है और आपको इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए ...(**व्यवधान**)...। इस प्रकार दो तरह के प्लांट हैं। जैसे बरौनी का एन.एफ.एल. और आर.सी.एफ. है। जो हमारे मुनाफा कमाने वाले प्लांट्स हैं उनमें काट के हम इसको चलाएंगे। डकिये का हम ज्वाइंट वेंचर के द्वारा कर रहे हैं। हल्दिया में हो सकता है कि ज्वायंट वेंचर भी न आये। वहां की सरकार का यह रिकमेंडेशन है कि यदि नहीं आये तो उसे प्राइवेट को दे दिया जाए। लेकिन ये सारे के सारे जो बंद प्लांट्स हैं, उनको खोलने का सरकार ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा: मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब और हरियाणा, दोनों स्टेट्स राइस और पैडी के लारजेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जब भी हमारा कोई सीजन होता है, उस वक्त खासकर डी.ए.पी. की शॉर्टेज आती है और हम डी.ए.पी. नहीं डाल पाते हैं। बगैर डी.ए.पी. के नाइट्रोजन वगैरह डालने से हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसका आप क्या समाधान कर रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान: सर, हमें, इस बात की काफी खुशी है कि पंजाब और हरियाणा की सरकारें इस मामले में काफी अलर्ट हैं और खास करके दोनों जगहों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनसे और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से हमारी रोज बात होती रहती है। हमने एक सेल बना दिया है जिसके माध्यम से रोज बातचीत होती है और अगर कहीं कोई कमी होती है तो उसे हम पूरा करते हैं। चीफ मिनिस्टर्स से भी हमारी बातचीत होती रहती है। हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि हम सब्सिडी में काफी पैसा देते हैं। पूरे सीज़न के लिए हम एक बार में एक जगह पर जमा नहीं कर सकते हैं इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स की जो मंथवाइज़ रिक्वायरमेंट होती है, उसकी पूर्ति हम करते हैं और उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं आती है। कभी-कभी यदि कोई एक्स्ट्रा सिचुएशन हो जाती है, जैसे बारिश ज्यादा हो गई और डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो उस परिस्थिति में चीफ मिनिस्टर स्वयं अथवा अन्य दूसरे मिनिस्टर्स हमें टेलिफोन करते हैं और हम उसमें स्पेशल प्रोविजन भी करते हैं जिसमें थोड़ी कठिनाई भी होती है।

Denial of treatment by CGHS empanelled hospitals

*4. SHRI VARINDER SINGH BAJWA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state: